राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद
(राजीविका)
जिला परियोजना प्रबंधन ईकाई एवं रिसोर्स सैल
ए–77,जय अम्बे नगर,टोंक रोड, जयपुर।

क्रमांकः–पं. 1(7)डीपीएमयू/लेखा/स्टोर/2018/2991-93 दिनांकः–21.06.2018

निविदा सूचना

इस कार्यालय अधीन संचालित परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 (जुलाई, 2019 तक के लिए) आयोजित प्रशिक्षण में उपलब्ध करायी जाने वाली पॉलिसियों/मॉड्यूल्स एवं अन्य सामग्री की फोटो स्टेट, लेमिनेशन एवं स्पाईरल बाईडिंग आदि कार्यों हेतु अधिकृत रजिस्टर्ड फर्मों/व्यक्तियों से निर्धारित प्रपत्र में मुहरबंद निविदाऐं निम्नानुसार आमंत्रित की जाती हैं–

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र शुल्क	निविदा फार्म विक्रय की अंतिम तिथि/समय	निविदा फार्म जमा कराने की अंतिम तिथि/समय	निविदा फार्म खोलने की तिथि/समय
1	फोटोकॉपी/लेमिनेशन/ स्पाईरल बाईडिंग आदि कार्य	2.00 लाख	4000/-	200/-	9.7.18/ 12.00PM	9.7.18/ 2.00Pm	9.7.18/ 3.00PM

इच्छुक व्यक्ति/निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र मय शर्तों के उपरोक्तानुसार शुल्क डिमाण्ड ड्राफ्ट (बैंकर्स चैक/नगद) जमा कराकर प्रकाशन की तिथि से कार्यालय समय में इस कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। धरोहर राशि **"जिला परियोजना प्रबंधक, आरजीएवीपी जयपुर"** के पक्ष में देय बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के द्वारा निविदा के साथ संलग्न करनी होगी। तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग मुहरबंद लिफाफे में एक अलग बडे मुहरबंद लिफाफे में, जिस पर कार्य का विवरण अंकित करते हुए प्रस्तुत करें। प्राप्त मुहरबंद निविदाओं को उपरोक्तानुसार तिथि एवं समय पर उपस्थित निविदादाताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष क्रय समिति द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता के कक्ष में खोली जायेगी। निविदा एवं इससे संबंधित शर्तों को इस कार्यालय में एवं राजीविका के पोर्टल व **www.sppp.rajasthan.gov.in** पर देखा जा सकता है। निविदा संबंधित समस्त अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेंगे।

जिला परियोजना प्रबंधक
राजीविका, जयपुर

क्रमांकः–पं. 1(7)डीपीएमयू/लेखा/स्टोर/2018/2991-93 दिनांकः–21.06.2018

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. नोटिस बोर्ड कार्यालय, राजीविका, मुख्यालय, उद्योग भवन/जिला परिषद/कलेक्ट्रेट,जयपुर।
2. सदस्य क्रय समिति समस्त को प्रेषित कर लेख है कि दिनांक 9.7.18 को 3.00 बजे अधोहस्ताक्षकर्ता के कक्ष में बैठक में भाग लेने का श्रम करें।
3. रक्षित पत्रावली।

जिला परियोजना प्रबंधक
राजीविका, जयपुर

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद
(राजीविका)
जिला परियोजना प्रबंधन ईकाई एवं रिसोर्स सैल
ए–77,जय अम्बे नगर,टोंक रोड, जयपुर।

क्रमांकः–पं. 1(7)डीपीएमयू/लेखा/स्टोर/2018/2991-93 दिनांकः–21.06.2018

निविदा–प्रपत्र–प्रथम (तकनीकी)

1. निविदा प्रस्तुत करने वाली एजेन्सी का विवरण :–

   फर्म का नाम : ....

   डाक का पूरा पता : ....

   दूरभाष नम्बर (कार्यालय) .... निवास ....

   ई–मेल ....

2. (अ) निविदा प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम व पता ....

   (ब) किस हैसियत (यथा पार्टनर/मालिक/अधिकृत ठेकेदार/मैनेजर/सचिव) से हस्ताक्षर किये हैं। ....

   (स) मालिक के अतिरिक्त अन्य हस्ताक्षरकर्ता ने स्वयं के पक्ष में समुचित अधिकार पत्र संलग्न करना आवश्यक है।

3. कार्य का विवरण – **फोटोकॉपी/लेमीनेशन/स्पाईरल बाईडिंग आदि कार्य।**

4. किसको संबोधित किया–

   जिला परियोजना प्रबंधक, जिला परियोजना प्रबंधन इकाई एवं रिसोर्स सैल, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, जयपुर।

5. संदर्भ– निविदा सूचना क्रमांक– .... दिनांक–......................

6. हम जिला परियोजना प्रबंधक, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका), जयपुर द्वारा जारी निविदा सूचना दिनांक .... में वर्णित सभी शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। उनमें उल्लेखित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

7. बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक संख्या .... दिनांक .... रूपये ..../– जो .... (बैंक का नाम) द्वारा जारी है, अमानत राशि के पेटे संलग्न किया जाता है।

8. उक्त उद्धत की गई दरें दिनांक 31.07.2019 तक के लिए विधिमान्य है। अनुबन्ध अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढाया भी जा सकेगा एवं विशेष परिस्थितियों में अगले 3 माह के लिए टेंडर की स्वीकृत दरें जारी भी रखी जा सकती हैं।

9. आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड की स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रति संलग्न की जानी आवश्यक है।

10. वाणिज्य कर विभाग द्वारा जारी GST पंजीकरण प्रमाण–पत्र (कम्पोजिशन स्कीम/पूर्ण GST स्कीम) संलग्न करनी होगी।

11. राजीविका/राजकीय विभागों में निविदा में उल्लेखित कार्य करने का न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाना है।

संलग्न (चैक लिस्ट) :– (तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक है)

- पैन कार्ड।
- वस्तु एवं सेवा कर (GST) पंजीयन प्रमाण पत्र (यदि GST के अधीन सेवायें सम्मिलित हो तो)
- कर चुकता प्रमाण पत्र।
- अनुभव प्रमाण पत्र (राजीविका अथवा राजकीय कार्यालय/विभागों में न्यूनतम दो वर्षो का अनुभव प्रमाण–पत्र)।
- स्वयं फर्म मालिक नहीं होने पर अन्य द्वारा निविदा भरने का समुचित अधिकार–पत्र।
- नियामक संस्था से प्राप्त रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र की प्रति।
- किसी भी संस्था/विभाग से ब्लेक–लिस्टेड नहीं होने का शपथ–पत्र (अपने प्रिन्टेड लैटर पैड अथवा 50/– के नॉन–ज्यूडिशीयल स्टाम्प पैपर पर)।
- बैंक खाते का विवरण मय आरटीजीएस नम्बर।

निविदाकार के हस्ताक्षर

नाम : ....

संस्था/फर्म का पता : ....

....

फोन नम्बरः ....

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद
(राजीविका)
जिला परियोजना प्रबंधन ईकाई एवं रिसोर्स सैल
ए–77,जय अम्बे नगर,टोंक रोड, जयपुर।

क्रमांकः–पं. 1(7)डीपीएमयू/लेखा/स्टोर/2018/2991-93 दिनांकः– 21.06.2018

निविदा–प्रपत्र–द्वितीय (वित्तीय)

1. निविदा प्रस्तुत करने वाली एजेन्सी का विवरण :–

फर्म का नाम : ....

डाक का पूरा पता : ....

....

दूरभाष नम्बर (कार्यालय) .... निवास ....

ई–मेल ....

क्र. सं.	विवरण		प्रस्तावित दर		कर देयता होने पर GST की दर (प्रतिशत में)
			अंकों में	शब्दों में	
1.	फोटो कॉपी (सिंगल साईड)				
	A-4	प्रतिपेज			
	F-S	प्रतिपेज			
2.	फोटो कॉपी (डबल साईड)				
	A-4	प्रतिपेज			
	F-S	प्रतिपेज			
3.	कलर फोटो कॉपी (सिंगल साईड)				
	A-4	प्रतिपेज			
	F-S	प्रतिपेज			
4.	प्रिन्ट (ब्लैक एण्ड वाइट)				
	A-4/ F-S	प्रतिपेज			
5.	प्रिन्ट (कलर)				
	A-4/ F-S	प्रतिपेज			
6.	स्पाइरल/स्पाइको बाइन्डिंग	100 पेज तक			
	A-4/ F-S	100 से अधिक पेज तक			

नोट :

1. उपरोक्त आइटमों पर GST देय हो तो वर्तमान में देय दर का उल्लेख अलग से किया जावे, अन्यथा "कर सहित" होने का उल्लेख किया जावे।
2. न्यूनतम दर दाता होने का निर्णय उपरोक्त आईटम नम्बर 1, 2 एवं 6 की दरों के आधार पर किया जावेगा क्योंकि सामान्यतया ये ही कार्य करवाये जाने है।
3. उपरोक्तानुसार न्यूनतम दर दाता को अन्य आईटमों की दरें प्राप्त न्यूनतम दरों से मेंच करनी होगी।

निविदाकार के हस्ताक्षर

नाम : ....

संस्था/फर्म का पता : ....

निविदा की शर्तें :—

1. निविदाऐं निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार की जायेगी। निविदा प्रपत्र जिला परियोजना प्रबंधक, राजीविका, जयपुर के कार्यालय से निविदा प्राप्त होने की तिथि व समय में निर्धारित शुल्क डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/नकद जिला परियोजना प्रबंधन इकाई (आरजीवीएपी) जयपुर के नाम जमा करवाकर प्राप्त किया जा सकता है। जमा कराया हुआ निविदा प्रपत्र शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं लौटाया जावेगा।
2. लिफाफे पर जिस कार्य की निविदा प्रस्तुत की जा रही है, उसका नाम लिखा होना चाहिए तथा लिफाफे के अन्दर दो लिफाफे हो, जिनमें एक लिफाफे में दी गई दरें वित्तीय बिड/निविदा तथा दूसरे लिफाफे पर तकनीकी बिड/निविदा अंकित किया जाना चाहिए।
3. निविदा जिला परियोजना प्रबंधक, जिला परियोजना प्रबंधन इकाई एवं रिसोर्स सैल, राजीविका, जयपुर के पते पर प्रस्तुत की जानी है। तकनीकी निविदा प्रस्तुत नहीं करने पर वित्तीय निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
4. निविदा के साथ धरोहर राशि (अर्नेस्ट मनी) का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक संलग्न होना चाहिए।
5. भरी हुई निविदा निर्धारित समय तक कार्यालय में प्राप्त होनी चाहिए। देरी से प्राप्त होने वाली निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
6. आयकर की कटौती भुगतान के समय ही काट ली जायेगी।
7. उक्त निविदाओं के अन्तर्गत प्राप्त एवं अनुमोदित दरें दिनांक 31.07.2019 तक वैध रहेगी।
8. कार्य संतोषप्रद होने की स्थिति में आगामी एक वर्ष के लिए अवधि बढाई जा सकती है।
9. उक्त निविदा सूचना के संबंध में संशोधन संवर्धन, परिवर्धन, मात्रा घटाने—बढाने आदि की कार्यवाही का सम्पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का होगा।
10. अधोहस्ताक्षरकर्ता प्राप्त निविदाओं को स्वीकार करने अथवा निरस्त करने हेतु अधिकृत होंगे।
11. निविदा में प्रस्तुत दरें निविदा फॉर्म में ही अंकित की जावें, पृथक नहीं।
12. निविदा स्याही/बॉलपेन से स्पष्ट लिपि में अंकित की जावे एवं कटिंग/ओवर राइटिंग नहीं की जावे, अगर कहीं कटिंग/ओवर राइटिंग होती है तो उस पर लघु हस्ताक्षर स्पष्ट करें।
13. स्वीकृत निविदा के प्रदायदाता को ही माल/सेवाऐं प्रदाय करना होगा। वह इसे किसी दूसरे प्रदायदाता को हस्तान्तरित नहीं कर सकेगा। अगर इस प्रकार की कार्यवाही करना पाया गया तो उसकी धरोहर/प्रतिभूति राशि जब्त कर उस फर्म को हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट करा दिया जावेगा।
14. समय पर सेवा उपलब्ध नहीं करने पर विभाग को नियमों के अनुरूप दण्ड राशि संबंधित प्रदायदाता से वसूल करने का पूर्ण अधिकार होगा।
15. यदि निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने से पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण करता है अथवा विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को निष्पादित नहीं करता है अथवा जब वह विहित समय के भीतर सप्लाई आदेश के अनुसार सप्लाई प्रारम्भ करने में असफल रहता है तो धरोहर/प्रतिभूति राशि को समाप्त कर लिया जायेगा।

16. फोटोकॉपी/लेमिनेशन/स्पाईरल बाईडिंग का कार्य मैटेरियल व्यक्तिगत/ई–मेल द्वारा अधिकृत फर्म को उपलब्ध कराया जावे।
17. करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर 500/– रूपये के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पर स्टाम्प लगाने अथवा 500/– रूपये का व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा तथा विभाग को उस करार निष्पादन स्टाम्प शुदा प्रति निःशुल्क प्रस्तुत की जायेगी।
18. निम्नतम दरों/निविदा स्वीकृति की दरों के आदेश प्रसारित होने के बाद संबंधित फर्म को जिला परियोजना प्रबंधक कार्यालय में उपस्थित होकर निर्धारित प्रारूप में रूपये 500/– के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध 7 दिवस में सम्पादित करना होगा।
19. समस्त विधिक कार्यवाही यदि संशोधित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा जयपुर में स्थित न्यायालयों में ही पेश किया जायेगा।
20. पेन कार्ड की कॉपी संलग्न करना अनिवार्य है।
21. Goods and Services Tax Act, 2017 (GST ACT) के अनुसार निविदा में सम्मिलित कार्यों की कर देयता निर्धारित्त है, त्तो GST दर का निविदा में अलग से उल्लेख किया जावे, अन्यथा दर ''कर सहित'' होने का उल्लेख स्पष्ट रूप से करे।

जिला परियोजना प्रबंधक
राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद
जयपुर

निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम/घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने फोटोकॉपी/लेमिनेशन/स्पाईरल बाईडिंग आदि कार्य के लिए की जाने वाली व्यवस्था कार्य के लिए निविदा दी है, उनके लिए यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो कि जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समाप्त किया जा सकेगा तथा निविदा को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर